न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/37 दायरा दिनांक : 10.03.2021

उनवान

1– प्रहलाद कुमार गर्ग पुत्र श्री मांगीलाल गर्ग जाति महाजन निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0) "मृतक"

1/1–दीनदयाल पुत्र स्व. श्री प्रहलाद कुमार गर्ग आयु 45 वर्ष

1/2–मनीष गर्ग पुत्र स्व० श्री प्रहलाद कुमार गर्ग आयु 43 वर्ष

1/3–दीपक गर्ग पुत्र स्व० श्री प्रहलाद कुमार गर्ग आयु 41 वर्ष

1/4–रामकली गर्ग बेवा स्व० श्री प्रहलाद कुमार गर्ग आयु 62 वर्ष जातिगण महाजन निवासीगण शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां

2– ब्रजेश कुमार गर्ग पुत्र श्री मांगीलाल गर्ग आयु 59 वर्ष जाति महाजन निवासी शाहबाद हाल निवासी 1–के–20 आल्हाउदल पार्क के पास, तलवंडी कोटा जिला कोटा (राज0)

3– शिवनारायण गर्ग पुत्र श्री मांगीलाल गर्ग आयु 61 वर्ष जाति महाजन निवासी शाहबाद हाल निवासी डी–104 भूमि आरकेट अशोक नगर नांदीवली ईस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)

–अपीलान्टगण

बनाम

1– विष्णु प्रसाद गर्ग पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गर्ग आयु 67 वर्ष जाति महाजन निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)

2– श्रीमति मैना बाई पुत्री श्री फतेहचन्द उर्फ फत्तू आयु 85 वर्ष जाति महाजन निवास शाहबाद हाल निवासी पत्नि श्री केशरीचन्द अग्रवाल निवासी डॉ. गिरधर गोपाल जी गली, राजपुरा वार्ड, बारां जिला बारां (राज0)

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां (राज0)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 16.01.2025

ये अपील उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद के प्रकरण संख्या – 78/2014 निर्णय व डिकी दिनांक 21.01.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जागदा तहसील शाहबाद जिला बारां खसरा किता 77 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 21.01.2021 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वाके माल ग्राम जागदा तहसील शाहबाद जिला बारां के हाल खसरा नं. 77 रकबा 19 बीघा 5 बीस्वा आराजी सन्

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1980 में फतू उर्फ फतेहचन्द व मांगीलाल पिसरान श्री फूंदीलाल कौम महाजन के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त दोनों खातेदारान ने अपने भाई जगन्नाथ के पक्ष में दिनांक 20.04.1989 को संयुक्त वसीयतनामा उप पंजीयक शाहबाद के यहां पंजीकृत करवाकर जगन्नाथ को अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। वसीयतकर्ता फतू उर्फ फतेहचन्द की मृत्यु जुलाई 1989 में हो गई। वसीयकर्ता मांगीलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने 1/2 हिस्से बाबत निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 20.04.1989 को निरस्त कर दूसरा वसीयतनामा दिनांक 25.06.96 अपनी पत्नि रजिया बाई की मृत्यु उपरान्त पुत्र ब्रजेश कुमार के पक्ष में निष्पादित करवा दी। मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 17.09.1996 को हुई। मांगीलाल की मृत्यु उपरान्त उनके 1/2 हिस्से आराजियात जर्ये फौती नामान्तरण संख्या 217 दिनांक 23.04.1999 से मृतक मांगीलाल के विधिक वारिसान व मृतक फतू उर्फ फतेहचन्द का फौती नामान्तरण एकमात्र पुत्री मैना बाई के नाम तस्दीक हुआ। वसीयतनामा दिनांक 20.04.1989 में वर्णित 1/2 हिस्सा आराजी फतू उर्फ फतेहचन्द का वसीयती उत्तराधिकारी जगन्नाथ है व 1/2 हिस्सा आराजियात के विधिक अधिकारी अपीलान्टगण है। जगन्नाथ द्वारा वाके माल जावदा की 1/2 आराजी बखाता मांगीलाल बाबत अपने पुत्र विष्णुप्रसाद के हक में निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 05.10.1998 अधिकारहीन अवैधानिक होने से ग्राम जावदा की 1/2 हिस्सा आराजियात के खातेदार कृषक होने की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत करने का रेस्पोडेन्ट क्रम 01 विष्णुप्रसाद को कोई वादाधिकार न होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयती विधि एवं हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 पारित की है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 4 का गलत विनिश्चय किया है। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अपने वाद की मद नं. 4 में कथन से किया है कि जगन्नाथ जी वसीयत दिनांक 20.04.1989 से वसीयती आराजी पर काबिज काश्त है। वादी का उक्त कथन अन्तरण एवं हस्तान्तरण बाबत होने से विवाद्यक संख्या 4 की न्यायालय द्वारा विरचना की गई। विवाद्यक संख्या 4 को अपीलान्टगण ने अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेजों से पूर्णरूपेण साबित किया है। उक्त तथ्य एवं साक्ष्यों को नज़र अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित अन्तरण एवं हस्तान्तरण के तथ्य को अनदेखा कर विवाद्यक संख्या 4 को अपीलान्टगण के पक्ष में एवं विरूद्ध होना निर्णित नही किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट ने विवाद्यक संख्या 5 को, प्रदर्श ए–1 वसीयतनामा दिनांक 25.06.1996 के वसीयत के गवाह DW–3 शिवचरण गुप्ता, DW–4 सुनील गुप्ता की साक्ष्य से प्रमाणित करवाकर वसीयतनामें के तथ्य एवं अस्तित्व को पूर्णरूपेण साबित कर विवाद्यक संख्या 5 के भार का निर्वहन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श ए–1 वसीयतनामा दिनांक 25.06.1996 में वर्णित तथ्य कि "मैने अपने 1/2 हिस्से की वसीयत श्री जगन्नाथ जी मेरे बड़े भाई के हक में की हुई है, जिसे मैं निरस्त करता हूँ। मैंने रूबरू की श्री जगन्नाथ जी को यह कह दिया है कि उनसे वसीयत का कागज की मांग की उन्होने नही लौटाया है। हमारे सम्बन्ध अच्छे नही है। मेरी मृत्यु पर वे मेरी वसीयत का दुरूपयोग कर सकते है, अतः जगन्नाथ जी के हक में की गई वसीयत को निरस्त करते हुये मैं इस वसीयत द्वारा अपने वसीयती उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ।" उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वसीयती प्रावधानों एवं मृतक जगन्नाथ के आचरण व्यवहार जैसे अपीलान्ट के पिता मांगीलाल की मृत्यु बाद वसीयत को प्रकट नहीं किया, ना ही वसीयत के आधार पर नामांतरण खुलवाने बाबत कोई कार्यवाही की। अपीलान्ट एवं उनकी बहिनों के पक्ष में खुले नामांतरण संख्या 217 दिनांक 23.04.1999 को जगन्नाथ

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं जगन्नाथ के विधिक वारिसान ने 16 वर्षों तक कहीं भी चुनौती नहीं दी। क्योंकि जगन्नाथ जानता था कि मांगीलाल ने मेरे पक्ष में की गई वसीयत को दूसरी वसीयत कर निरस्त कर दिया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि वसीयत का पंजीयकरण करवाना आवश्यक नहीं है। अपंजीकृत वसीयत एवं पंजीकृत वसीयत दोनों ही विधि में समान बल रखती है। उक्त तथ्य को अनदेखा कर विवाद्यक संख्या 5 का विनिश्चय विधि एवं तथ्य विरूद्ध एवं दस्तावेजात व साक्ष्य से असंगत मनमाना होने से निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अपने वाद में अधिकारहीन वसीयत दिनांक 05.10.1998 एवं लम्बे व प्रतिकूल आधिपत्य को आधार बनाकर न्यायालय से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अनुतोष की मांग की है। स्वयं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 वादी ने वाद में यह कही नही दर्शाया कि उसके पिता जगन्नाथ किस तारीख से उक्त आराजी पर काबिज हुये। फत्तू एवं मांगीलाल की आराजी को जगन्नाथ जी ही काश्त करवाकर दोनों भाईयों की अवेर सवेर करते थे। जगन्नाथ का उक्त विवादित ग्राम जागदा की आराजी पर स्वीकृत आधिपत्य था। उक्त स्वीकृत आधिपत्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का वैधानिक अधिकार न होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 3 में रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त की पुष्टि कर प्रदर्श 4 वसीयतनामा दिनांक 05.10.1998 जो कि ग्राम जागदा की आराजी 1/2 हिस्सा मांगीलाल बाबत जगन्नाथ द्वारा निष्पादित वसीयत अवैध अधिकारहीन होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के हिस्से की आराजी बाबत वसीयत दिनांक 05.10.1998 प्रदर्श–4 को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को 1/2 हिस्सा विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया है। जो विधि विरूद्ध एवं वसीयती विधि के नियमों एवं प्रावधानों से असंगत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 निरस्त फरमाया जावें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि कब्जा और वसीयत दोनों की प्रार्थना एक साथ मेंटनेबल नहीं है। मांगीलाल ने 1/2 हिस्से की वसीयत खारिज कर दी थी। दूसरी वसीयत जो मांगीलाल की है उसे हमने पूर्णतः साबित किया है। इस वसीयत के गवाह शिवचरण व सुनील गुप्ता के बयान करवाये है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने 1998 के वसीयत के आधार पर विष्णु को खातेदार घोषित किया जो विधि विरूद्ध है। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है और वसीयतकर्ता अपनी इच्छा से कभी भी वसीयत को खारिज कर सकता है। जगन्नाथ को सम्पूर्ण आराजी को विष्णु के नाम वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। 2014 में वसीयत एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विष्णू ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा किया। वसीयत ही केवल ऐसा दस्तावेज है जिसे इच्छा के अनुसार सादा दस्तावेज से भी निरस्त किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि बहस के तथ्य जवाब दावे से बाहर है। दिनांक 20.04.1989 की वसीयत की गयी, वह वसीयत हस्तातंरण की परिभाषा में आती है इस पर अभिभाषक अपीलांट ने कुछ नहीं कहा। दिनांक 20.04.1989 को निरस्त कर दिनांक 25.06.1996 को वसीयत की उसके आधार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

पर बहस कर रहे है। यह वसीयत भी मृत्यु से 3 माह पूर्व करवायी है। दिनांक 25.06.1996 के वसीयत पर किसी न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त नहीं किया है। प्रदर्श ए–1 वसीयत के अनुसार दोनों भाइयों ने मिलकर जगन्नाथ के पक्ष में करवायी और जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। मांगीलाल को रजिस्टर्ड वसीयत के 1/2 हिस्से तक निरस्त करवाना चाहिए था उप पंजीयन से रजिस्टर्ड दस्तावेज केवल रजिटर्ड दस्तावेज से ही खारिज होगा। अतः धारा 70 उत्तराधिकार अधिनियम का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः अपील खारिज की जाये।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके ग्राम जगदा तहसील शाहाबाद में खसरा नंबर 77 रकबा 19.05 बीघा विवादित आर जी के खातेदार फत्तू, मांगीलाल पुत्र फून्दी लाल कौम महाजन ने अपने भाई जगन्नाथ प्रसाद की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 20.04.1989 को विवादित आरजी की वसीयत अपने भाई जगन्नाथ प्रसाद के नाम कर दो गवाहों की उपस्थिति में यह वसीयत सब रजिस्टार शाहाबाद के समक्ष तस्दीक करवाई गई तभी से इस भूमि पर जगन्नाथ प्रसाद काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। जगन्नाथ प्रसाद वर्ष 2001 में फौत हो चुके है फत्तू व मांगीलाल पुत्र फून्दीलाल के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण नं. 217 दिनांक 23.04.1999 को खोला गया जो उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम तस्दीक किया गया, जबकि इस भूमि पर उस समय भी वसीयतगृहिता जगन्नाथ प्रसाद ही काबिज थे। इस कारण नामान्तरण संख्या 217 शून्य व निरस्तनीय है। जगन्नाथ प्रसाद ने अपने जीवन काल में दिनांक 05.10.1998 को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत जिसमें विवादित आराजी भी शामिल है, वादी के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवा दी गई है। उक्त विवादित आराजी पर वादी के पिता व वादी को निरंतर काश्त करते हुए 25 वर्ष का समय हो गया है, वादी के हक हकूक परिपक्व हो चुके है और वादी वसीयत एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ विवादित भूमि का खातेदार कृषक बन गया है। अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नं. 77 रकबा 19.05 बीघा भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के स्थान पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलदांजी न तो स्वयं के, न अन्य से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 से वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी ग्राम जागदा तहसील शाहबाद की खसरा नं. 77 रकबा 19.05 बीघा का वादी को खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार शाहबाद को प्रतिवादी 1 लगायत 4 के स्थान पर उक्त भूमि को राजस्व जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज करने हेतु आदेशित करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में तनकीवार विवेचन करते समय इस मुख्य तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वसीयतकर्ता अपने जीवन काल के दौरान किसी भी समय अपनी पूर्व निष्पादित वसीयत को बाद वाली वसीयत से निरस्त करते हुए पुनः वसीयत निष्पादित कर सकता है। ऐसी स्थिति में वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत मान्य होगी। वसीयत का कानूनी प्रभाव वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान और

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसकी मृत्यु के बाद अलग–अलग होता है। जब तक वसीयतकर्ता जीवित है, तब तक वसीयतकर्ता द्वारा इसे बदला या संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार वसीयतकर्ता की मृत्यु तक, वसीयत निरस्त की जा सकती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत पूरी हो जाती है और इसके प्रावधान प्रभावी हो जाते है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अनुसार वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। धारा–17 में ऐसे दस्तावेजों की सूची दी गई है. जिनके लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन वसीयत इसमें शामिल नहीं है। धारा– 18 में कहा गया है कि वसीयत का पंजीकरण वैकल्पिक है। एक अपंजीकृत वसीयत भी उतनी ही वैध है जितनी पंजीकृत वसीयत बशर्ते उसे वसीयत के गवाहों के दवारा प्रमाणित करवाया गया हो। पंजीकरण वसीयत की वास्तविकता का निर्धारण नहीं करता है और चुनौती के मामले में उचित सबूत की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता। विवाद की स्थिति में पंजीकृत वसीयत को भी वसीयत पर हस्ताक्षर करने वाले गवाहों के माध्यम से प्रमाणित करवाना आवश्यक हो जाता है। इन सभी वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील के समस्त तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात् हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की तनकीवार समीक्षा करना आवश्यक समझते है, जो निम्नानुसार है :–

तनकी नं. 1– आया ग्राम जागदा, तहसील शाहबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 19.05 बीघा के खातेदार फत्तू व मांगीलाल वल्द फून्दीलाल महाजन ने अपनी उक्त आराजी की वसीयत दिनांक 20.04.1989 को अपने सगे भाई जगन्नाथ प्रसाद (वादी के पिता) के हक में उप पंजीयक शाहबाद के समक्ष तस्दीक कराई है, तभी से जगन्नाथ प्रसाद व वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं ?

.... वादी

अधीनस्थ न्यायालय ने यह तनकी वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा विवादित आराजी के संदर्भ में फत्तू उर्फ फतेहचन्द तथा मांगीलाल पिसरान फूंदीलाल द्वारा वादी रेस्पोंडेट नं. 1 के पिता जगन्नाथ प्रसाद के हक में दिनांक 20.04.1989 को पंजीकृत करवाये गये वसीयतनामे व प्रस्तुत गवाहान पी.डब्ल्यू.–3, पी.डब्ल्यू.–4, पी.डब्ल्यू.–5 के गवाह बयान के आधार पर वादी रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में निर्णित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल गवाहों के बयान के आधार पर ही वादी का विवादित आराजी पर कब्जा होना स्वीकार किया है जबकि कब्जे की पुष्टि के लिए खसरा गिरदावरी प्रमाणित राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने कब्जे की पुष्टि हेतु खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के सहखातेदार मांगीलाल जो अपीलांट प्रतिवादीगण 1 ल0 3 के पिता है ने अपने हिस्से की वसीयत जो पूर्व में दिनांक 20.04.1989 को जगन्नाथ प्रसाद के हक में निष्पादित करवाई थी उसे दिनांक 25.06.1996 को निष्पादित दूसरी वसीयत से निरस्त करते हुए अपने हिस्से की 1/2 आराजी की वसीयत यह कहते हुए कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी श्रीमती रजियाबाई जीवित रहती है तो आराजी का 1/2 हिस्सा उनके खाते दर्ज किया जावे। रजियाबाई की मृत्यु के बाद यह हिस्सा मेरे पुत्र

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बृजेशकुमार के नाम खाते में दर्ज किया जावे, अपनी पत्नी व पुत्र जो मांगीलाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान के पक्ष में निष्पादित करवाई गयी।

वसीयतकर्ता को अपने जीवनकाल में अपनी पूर्व निष्पादित वसीयत संशोधित करने, निरस्त करने एवं नई वसीयत निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। अपीलांट प्रतिवादीगण 1 ल0 3 द्वारा अपने पिता मांगीलाल द्वारा दिनांक 25.06.1996 को निष्पादित दूसरी वसीयत को अधीनस्थ न्यायायलय में प्रस्तुत कर (प्रदर्श–ए1ए) उसे वसीयत के दोनों गवाह शिवचरण गुप्ता पुत्र श्री घासीलाल व सुनील गुप्ता पुत्र सुदामाजी के शपथपत्रों से प्रमाणित भी करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2066–69 प्रदर्श–1 व 2 के अवलोकन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादी के पिता जगन्नाथ प्रसाद ने अपने जीवनकाल में कभी भी विवादित आराजी के खातेदार फत्तू उर्फ फतेह चंद व मांगीलाल द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 20.04.1989 को निष्पादित वसीयत के आधार पर विवादित आराजी को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया। विवादित आराजी वसीयकर्ताओं के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड रही एवं फत्तू उर्फ फतेहचंद की मृत्यु के बाद उसका 1/2 हिस्सा पुत्री मैनाबाई के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार मांगीलाल की मृत्यु के बाद उसका 1/2 हिस्सा मांगीलाल के वारिसान प्रहलाद कुमार, शिवनारायण, बृजेशकुमार पुत्र मांगीलाल, रजियाबाई बेवा मांगीलाल के नाम दर्ज हुआ।

प्रदर्श–4 वसीयतनामा जो जगन्नाथ प्रसाद ने अपने पुत्र वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के पक्ष में दिनांक 05.10.1998 को निष्पादित करवाया गया है, उसकी पृष्ट सं. 3 पर अंकित है कि अपने खाते की भूमि अर्थात जगन्नाथ प्रसाद के खाते की भूमि जो वसीयत निष्पादन के समय उनके खाते दर्ज रही हो अपने पुत्र विष्णु प्रसाद प्रसाद को को वसीयत में दी है परंतु विवादित आराजी वसीयत निष्पादन के समय वसीयतकर्ता जगन्नाथ प्रसाद के नाम दर्ज नहीं थी क्योंकि जगन्नाथ प्रसाद ने कभी भी अपने जीवनकाल में अपने भाईयों द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित विवादित आराजी की वसीयत के आधार पर विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं करवाई। ऐसी स्थिति में जगन्नाथ प्रसाद द्वारा अपने पुत्र विष्णु प्रसाद वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर वसीयतगृहिता वादी रेस्पोडेंट नं. 1 को विवादित आराजी पर कोई हक अधिकार वैधानिक रूप से प्राप्त नहीं होते, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर कानूनन त्रुटि की है।

अपीलांट 1 लगायत 3 के पिता द्वारा निष्पादित द्वितीय वसीयतनामा दिनांक 25.06.1996 प्रदर्श–ए1ए से पूर्व निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 20.04.1989 को निरस्त कर देने एवं अपीलांट नं. 1 लगायत 3 द्वारा द्वितीय वसीयतनामे को वसीयत निष्पादन के समय वसीयत को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करने वाले दोनों गवाहों के शपथ पत्र से प्रमाणित करवाने एवं भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अनुसार वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होने से तनकी नं. 1 वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं. 2– आया वादी के पिता जगन्नाथ प्रसाद ने विवादित आराजी सहित अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 05.10.1998 को वादी के हक में निष्पादित की है, वादी लम्बे समय से प्रतिकूल अधिपत्य के आधार पर भी विवादित आराजी को अपने नाम घोषणा करा खाते दर्ज कराने का अधिकारी है ? ... वादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने यह तनकी वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श –4 जो जगन्नाथ प्रसाद ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 विष्णुप्रसाद के पक्ष में दिनांक 05.10.1998 को निष्पादित करवाया उसके आधार पर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 को विवादित आराजी का उत्तराधिकारी मानते हुए वादी के पक्ष में तय की है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि इस वसीयतनामे से वादी रेस्पोडेंट नं.1 को वसीयतकर्ता जगन्नाथ प्रसाद के खाते की आराजी एवं वसीयतनामे में स्पष्ट रूप से अंकित अन्य चल–अचल सम्पत्तियों पर तो हक अधिकार प्राप्त हो सकते है परंतु विवादित आराजी पर हक अधिकार वैधानिक रूप से प्राप्त नहीं होते क्योंकि विवादित आराजी कभी भी वसीयतकर्ता जगन्नाथ प्रसाद के नाम दर्ज नहीं रही और मांगीलाल द्वारा अपनी दूसरी वसीयत दिनांक 25.06.1996 से जगन्नाथ प्रसाद के पक्ष में निष्पादित अपने 1/2 हिस्से की पहली वसीयत को निरस्त करवाते हुए अपने प्रथम श्रेणी के वारिसान के पक्ष में दूसरी वसीयत करवा दी गई थी इस संबंध में विस्तृत विवेचन तनकी नं. 1 में किया जा चुका है। अतः यह तनकी वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं. 3– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का हकदार है ? .... वादी

अधीनस्थ न्यायालय ने यह तनकी भी प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 वसीयतनामों के आधार पर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के पक्ष में निर्णित की है जबकि वसीयतनामा प्रदर्श–3 जो फत्तू उर्फ फतेहचन्द व मांगीलाल ने जगन्नाथ प्रसाद के नाम किया था उसे मांगीलाल द्वारा अपने 1/2 हिस्से तक अपने दूसरे वसीयतनामे प्रदर्श–ए1ए से निरस्त करवा दिया था। इसी प्रकार प्रदर्श–4 वसीयतनामा, जो जगन्नाथ प्रसाद ने अपने पुत्र विष्णु प्रसाद वादी के पक्ष में निष्पादित किया उसके आधार पर वादी को विवादित आराजी पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते क्योंकि जगन्नाथ प्रसाद ने अपने खाते की आराजी की वसीयत की है और विवादित आराजी वसीयत निष्पादन के समय जगन्नाथ प्रसाद के खाते दर्ज नहीं थी। इसका विवेचन तनकी नं. 1 में विस्तृत रूप से किया जा चुका है। विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2066–69 के अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं 2 की सहखातेदारी में दर्ज होने के कारण भी वादी रेस्पोडेंट नं. 1 को खातेदार अपीलांट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी भी वादी रेस्पोडेंट नं 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं. 4– आया दिनांक 20.04.1989 को खातेदार फत्तू व मांगीलाल द्वारा जगन्नाथ प्रसाद के हक में की गई वसीयत, वसीयत की परिभाषा में नहीं आती है, इस कारण वसीयत दिनांक 20.04.1989 के आधार पर वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है ? ...... प्रतिवादी

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 4 के विवेचन में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल में अपनी पूर्व वसीयत को बाद वाली वसीयत से संशोधित कर सकता है, निरस्त कर सकता है एवं निरस्त करते हुए अन्य वारिसान के नाम दूसरी वसीयत भी कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न वसीयतनामा प्रदर्श–ए1ए से मांगीलाल द्वारा विवादित आराजी के संदर्भ में निष्पादित अपने 1/2 हिस्से की वसीयत को अपनी दूसरी वसीयत से निरस्त करवा दिया गया था ऐसी स्थिति में वैधानिक प्रावधानों के तहत दिनांक 20.04.1989 को निष्पादित पूर्व वसीयत, वसीयत की श्रेणी में नहीं आती। प्रदर्श–ए1ए को अपीलांट द्वारा वसीयत के गवाहों के शपथपत्र से प्रमाणित भी करवाया गया है एवं भारतीय पंजीयन अधिनियम के अनुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है। साथ ही मांगीलाल द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
... अपील प्राधिकारी, कोटा

निष्पादित अपनी दूसरी वसीयत अपने प्रथम श्रेणी के वारिसान के पक्ष में ही निष्पादित की गई है ऐसी स्थिति में संदेह का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता। एक अन्य तथ्य यह भी ध्यान देने योग्य है कि पहली वसीयत के आधार पर जगन्नाथ प्रसाद ने अपने जीवनकाल में कभी भी विवादित आराजी अपने नाम नहीं करवाई। अतः इस तनकी को अपीलांट प्रतिवादी 1 ल0 3 ने प्रदर्श–ए1ए को वसीयत के गवाहों के माध्यम से भली–भांति अपने पक्ष में सिद्ध किया है। अतः यह तनकी अपीलांट के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं. 5 – आया खातेदार मांगीलाल द्वारा वसीयत दिनांक 20.04.1989 को निरस्त कर दिनांक 25.06.1996 को अपनी पत्नी रजियाबाई के पक्ष में की गई वसीयत अंतिम वसीयत होने से वाद चलने योग्य नहीं है ? .... प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार अपीलांट प्रतिवादी 1 ल0 3 पर था। दिनांक 25.06.1996 को अपीलांट के पिता मांगीलाल द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के अलावा अन्य कोई वसीयतनामा दिनांक 25.06.1996 के बाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मांगीलाल द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.06.1996 ही अंतिम वसीयतनामा होना स्वतः साबित है, जिसे अपीलांट द्वारा गवाहों के माध्यम से प्रमाणित भी करवाया गया है। तनकी नं. 5 के विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना कि वादी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि यदि प्रदर्श ए, प्रतिवादीगण के पास मौजूद था तो उन्होनें वसीयतकर्ता मांगीलाल के मृत्यु के बाद इस दस्तावेज के अनुरूप रजियाबाई का नाम नामांतरण दर्ज क्यों नहीं कराया। अपीलांट प्रतिवादी कम 1 ल0 3 के अधिवक्ता का इस संबंध में यह तर्क रहा है कि यदि मांगीलाल के हिस्से की आराजी का नामांतरण दस्तावेज ए 1 की मंशा के विपरीत दर्ज हुआ है तो इस संबंध में वादी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, सही प्रतीत होता है क्योंकि वसीयतगृहिता ही इसके विरूद्ध प्रश्न उत्पन्न कर सकता है। मांगीलाल के हिस्से की 1/2 विवादित आराजी का नामान्तरकरण वसीयतगृहिता रजियाबाई के जीवनकाल में उसके नाम दर्ज होता या रजियाबाई की मृत्यु के बाद बृजेश कुमार पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज होता या अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2066–2069 प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार नामांतरण प्रहलाद कुमार, शिवनारायण, बृजेश कुमार पुत्र मांगीलाल, रजियाबाई बेवा मांगीलाल के नाम दर्ज होने से प्रकरण के इस निर्णायक तथ्य पर कोई फर्क नहीं पडता कि मांगीलाल ने अपने हिस्से की 1/2 विवादित आराजी के संदर्भ में जगन्नाथ प्रसाद के पक्ष में दिनांक 20.04.1989 को निष्पादित वसीयतनामे को अपने जीवनकाल में निष्पादित द्वितीय व अंतिम वसीयतनामा दिनांक 25.06.1996 से निरस्त करवा दिया था ऐसी स्थिति में जगन्नाथ प्रसाद को मांगीलाल के हिस्से की 1/2 विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता, साथ ही जगन्नाथ प्रसाद ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी को वसीयतनामे के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता।

जगन्नाथ प्रसाद द्वारा दिनांक 05.10.1998 को अपने पुत्र विष्णुप्रसाद के नाम करवाई गई अपनी चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वे अपने खाते की आराजी की वसीयत अपने छोटे पुत्र विष्णु प्रसाद के नाम करते है जबकि विवादित आराजी कभी जगन्नाथ प्रसाद के खाते ही दर्ज नही हुई ऐसी स्थिति में जगन्नाथ प्रसाद द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 05.10.1998 से वादी रेस्पोडेंट नं. 1 को विवादित आराजी में कोई हक अधिकार उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जहां तक विवादित आराजी में फत्तु उर्फ फतेहचन्द के 1/2

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हिस्से की आराजी का प्रश्न है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत् 2066–69 के अनुसार मैनाबाई पुत्री फत्तू के नाम दर्ज रेकार्ड है इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि फत्तु उर्फ फतेहचन्द द्वारा अपने हिस्से 1/2 की वसीयत जो जगन्नाथ प्रसाद के पक्ष में दिनांक 20.04.1989 को निष्पादित करवायी थी वह ना तो निरस्त की है और ना ही उस पर फत्तु उर्फ फतेहचन्द की वारिस मैनाबाई पुत्री फतेहचन्द द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है परंतु वसीयतकर्ता व वसीयतगृहिता दोनों की मृत्यु हो गई है और जगन्नाथ प्रसाद ने विष्णु प्रसाद के पक्ष में केवल अपने खाते की भूमि की ही वसीयत दिनांक 05.10.1998 को निष्पादित करना प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श–4 से स्पष्ट होता है और विवादित आराजी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजो के अनुसार जगन्नाथ प्रसाद के खाते दर्ज रिकार्ड होना सिद्ध नहीं होता परंतु मैनाबाई द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से कोई रिलिफ नहीं चाहा गया है। अतः मैनाबाई पुत्री फत्तु अपने हिस्से की 1/2 आराजी के सदर्भ में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार यह तनकी अपीलांट प्रतिवादी 1 ल0 3 के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं. 6 अनुतोष –

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 को विवादित आराजी वाके ग्राम जागदा तहसील शाहबाद के खसरा नं. 77 रकबा 19.05 बीघा पर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के पिता जगन्नाथ प्रसाद द्वारा वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 05.10.1998 से किसी प्रकार का हक/अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.01.2021 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– प्रहलाद कुमार गर्ग पुत्र श्री मांगीलाल गर्ग जाति महाजन निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0) "मृतक"

1/1– दीनदयाल पुत्र स्व. श्री प्रहलाद कुमार गर्ग आयु 45 वर्ष

1/2– मनीष गर्ग पुत्र स्व० श्री प्रहलाद कुमार गर्ग आयु 43 वर्ष

1/3– दीपक गर्ग पुत्र स्व० श्री प्रहलाद कुमार गर्ग आयु 41 वर्ष

1/4– रामकली गर्ग बेवा स्व० श्री प्रहलाद कुमार गर्ग आयु 62 वर्ष जातिगण महाजन निवासीगण शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां

2– ब्रजेश कुमार गर्ग पुत्र श्री मांगीलाल गर्ग आयु 59 वर्ष जाति महाजन निवासी शाहबाद हाल निवासी 1–के–20 आल्हाउदल पार्क के पास, तलवंडी कोटा जिला कोटा (राज0)

3– शिवनारायण गर्ग पुत्र श्री मांगीलाल गर्ग आयु 61 वर्ष जाति महाजन निवासी शाहबाद हाल निवासी डी–104 भूमि आरकेट अशोक नगर नांदीवली ईस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)

.... अपीलांट

बनाम

1– विष्णु प्रसाद गर्ग पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गर्ग आयु 67 वर्ष जाति महाजन निवासी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)

2– श्रीमति मैना बाई पुत्री श्री फतेहचन्द उर्फ फत्तू आयु 85 वर्ष जाति महाजन निवास शाहबाद हाल निवासी पत्नि श्री केशरीचन्द अग्रवाल निवासी डॉ. गिरधर गोपाल जी गली, राजपुरा वार्ड, बारां जिला बारां (राज0)

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2021/37** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद**

मु.द.नं0 **78/2014** निर्णय व डिक्री दिनांक – **21.01.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **18 माह 12** सन् **2024**

श्री **हरिओम चतुर्वेदी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **महेश प्रकाश गौतम** अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.01.2021 अपास्त किया जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16 माह 01 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)